12

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) नगर (भरतपुर)
पीठासीन अधिकारी शौकत अली आर.ए.एस.
प्रा०पत्र सं. 162/10

मजलिस पुत्र मेव खाँ जाति मेव निवासी जाटिपाका तह. नगर जिला भरतपुर

बनाम --- प्रार्थी

1. जुम्मा पुत्र नूरे खाँ
2. जमशेद
3. अरशद] पिसरान जुम्मा] जाति मेव निवासी ग्राम जाटिपाका तह. नगर जिला भरतपुर

--- अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. श्री ललित [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी
2. " दीन दयाल गर्ग अधिवक्ता अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 15.11.2011

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अपने मूल वाद के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वि० आ० ख० नं. 60/0.06, 76/0.07, 175/0.03 वाके ग्राम जाटिपाका तह. नगर पर प्रार्थी के पिता मेव खाँ का नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर वह जीवन पर्यन्त बतौर खातेदार काबिज रहा, तथा अब बतौर वारिसान प्रार्थी का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी के हिस्से की अराजी पर जबरन लट्ठ के बल पर दिनांक 15.7.10 को कब्जा कर लिया तथा ख.नं. 175 में से जबरन पीपल के पेड़ काट लिए जबकि उनको कोई अधिकार हासिल नहीं है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 15.7.10 को वि. आ. में लट्ठ के [illegible] करने की धमकी दी है [illegible] प्रार्थी को असीम क्षति यदि वे अपने इरादे में [illegible] पृथक इतरया होगी जिसकी पूर्ति [illegible] है। अंत में निवेदन किया [illegible] सुविधा का संतुलन प्रार्थी के [illegible] निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि है कि प्रार्थी के जरिए अस्थाई [illegible] ताकत के बल पर अवैध निर्माण - व वि. आ. में जबरन लट्ठ व ताकत नहीं करें।

उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

— 2

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.04.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजि० किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना-पत्र पेश कर निवेदन किया है कि सायल ने यह प्रार्थना-पत्र निराधार व झूठे तथ्यों के आधार पर महज गैर सायलान को तंग व परेशान करने की नीयत से प्रस्तुत किया है। कि.आ. ख.नं. 60 पर मेहरखॉ का नाम दर्ज है जबकि सायल के पिता का नाम मेव खॉ दर्ज है ख.नं. 76 की बाबत सायल के पिता का नाम दर्ज रिकार्ड नहीं है तथा ख.नं. 175 की बाबत बंदोबस्त पूर्व सालवैक रिकार्ड में गैर सायल जुम्मा के पिता रहीम का नाम मौरूसी दर्ज है। इस प्रकार सायल का प्रार्थना-पत्र कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। मौके पर गैर सायलान का कब्जा है। अतः प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी तथा उनके द्वारा दौराने बहस किये गये तर्कों पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। प्रस्तुत नकल जमाबंदी सम्वत 2063-66 में कि.आ. की बाबत हो-रहे इन्द्राजात से स्पष्ट है कि सायल एवं गैर सायलान के पिता कि.आ. के सह खातेदार/गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड है। पक्षकारान के मध्य कब्जा एवं अधिकार के बिन्दु का विनिश्चय मूल दावा में सम्पूर्ण साक्ष्य आदि लेने के बाद ही तय किया जावेगा। चूंकि-पक्षकारान के मध्य वादे की बहुलता को रोकने के लिए स्थगन जारी किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि- प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा ता फैसला वाद पाबन्द किया जाता है कि वे कि.आ. ख.नं. 60/0.04, 76/0.07, 175/0.03 वाके ग्राम ... तह. नगर में किसी प्रकार नया निर्माण नहीं करें।

(शौकत अली)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Prasad
Date: 2021.04.12 12:49:52 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक ... 11.2011 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शौकत अली)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (भरतपुर) राज.